भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1109

08 दिसम्बर, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष कॉलेजों के आंकड़े

1109. श्रीमती क्रीन ओझा:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश में आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी कॉलेजों के संबंध में कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान असम सहित देश में आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी कॉलेजों की संख्या बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी कॉलेजों के निर्माण को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार के पास कैंसर, फेफड़ों की खराबी और श्वसन संबंधी उपचार जैसी गंभीर बीमारियों के लिए आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी उपचार को बढ़ावा देने की कोई योजनाएं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): जी हां, देश में आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी कॉलेजों की संख्या से संबंधित आंकड़ों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **संलग्नक** में दिया गया है।

(ख): जन-स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, सरकारी आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी कॉलेजों की स्थापना/स्नातकीय और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना और असम सहित देश में नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम खोलना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि, आयुष मंत्रालय राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की अपनी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत उन राज्यों में नए आयुष कॉलेजों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान करता है जहां आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी कॉलेजों सहित सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थाओं की उपलब्धता अपर्याप्त है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें एनएएम के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव भेजकर कर पात्र वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

इसके अलावा, पिछले पांच वर्षों के दौरान असम सहित देश में नए आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी कॉलेजों की स्थापना हेतु सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों और स्थापित कॉलेजों का ब्यौरा **संलग्नक-II** में दिया गया है। तथापि, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम), जो देश भर में नए आयुर्वेद, यूनानी एवं सिद्ध कॉलेज खोलने के लिए विनियामक प्राधिकरण है, द्वारा देश में नए सरकारी आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी कॉलेजों की स्थापना हेतु **2024-25** शैक्षणिक वर्ष के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग): एक नया आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए आवेदन करने से पहले, आवेदक के पास न्यूनतम मानक आवश्यकताओं (एमएसआर), 2016 के मानदंडों के अनुसार 02 वर्षों से पूरी तरह से निर्मित और पूरी

तरह कार्यात्मक अस्पताल होना चाहिए। आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी के एमएसआर, 2016 का विवरण निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: **https://ncismindia.org/pdf/rul-reg-msr-2016-9-7.pdf**, **https://ncismindia.org/pdf/rul-reg-msr-sid-2016-9-7.pdf** और

https://ncismindia.org/pdf/UNANI-MSR-07-09-2016.pdf

(घ): आयुष मंत्रालय की आयुर्ज्ञान, आयुस्वास्थ्य और राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) योजनाओं के माध्यम से कैंसर, फेफड़ों की खराबी और श्वसन संबंधी उपचार जैसी गंभीर बीमारियों के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी उपचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार के पास अलग-अलग योजनाएं हैं। उपर्युक्त बीमारियां आयुष मंत्रालय द्वारा प्रोत्साहित की जा रही एकीकृत चिकित्सा के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं।

*****

संलग्नक-I

देश में आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी कॉलेजों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयुर्वेद	सिद्ध	यूनानी
1.	आंध्र प्रदेश	3	0	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	1	0	0
4.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
5.	बिहार	10	0	5
6.	चंडीगढ़	1	0	0
7.	छत्तीसगढ़	6	0	1
8.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	3	0	2
9.	दादर नगर हवेली एवं दमन दीव	0	0	0
10.	गोवा	2	0	0
11.	गुजरात	45	0	0
12.	हरियाणा	14	0	0
13.	हिमाचल प्रदेश	4	0	0
14.	जम्मू और कश्मीर	2	0	4
15.	झारखंड	1	0	0
16.	कर्नाटक	99	0	6
17.	केरल	18	1	1
18.	लद्दाख	0	0	0
19.	लक्षद्वीप	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	33	0	4
21.	महाराष्ट्र	120	0	7
22.	मणिपुर	0	0	0
23.	मेघालय	2	0	0
24.	मिजोरम	0	0	0
25.	नागालैंड	0	0	0
26.	उड़ीसा	6	0	0
27.	पांडिचेरी	1	0	0
28.	पंजाब	18	0	1
29.	राजस्थान	18	0	3
30.	सिक्किम	0	0	0
31.	तमिलनाडु	8	16	1
32.	तेलंगाना	2	0	3
33.	त्रिपुरा	0	0	0
34.	उत्तर प्रदेश	100	0	16
35.	उत्तराखंड	20	0	1
36.	पश्चिम बंगाल	4	0	1
	कुल	**541**	**17**	**57**

सूचना का स्रोत: एनसीआईएसएम

संलग्नक-II

पिछले 5 वर्षों में सरकारी आयुर्वेद कालेजों के लिए प्राप्त कुल प्रस्ताव और स्थापित कालेज का विवरण					
क्र.सं.	**राज्य**	**कॉलेजों का नाम**	**जिला**	**सरकारी/ निजी**	**अनुमति वर्ष**
1.	महाराष्ट्र	सरकारी आयुर्वेद कालेज एवं अस्पताल, पी.ओ. चिंचोली, अजंता रोड, तालुका एवं जिला जलगांव, महाराष्ट्र	जलगांव	सरकारी	2019-20
2.	मेघालय	पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान (एनईआईएएच), मावडियांगडियांग, शिलांग-793018, मेघालय	शिलांग	सरकारी	2020-21
3.	गोवा	अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, एमआरपीपी+क्यूडब्ल्यु9, दरगालिम, उत्तरी गोवा, गोवा-403519	उत्तरी गोवा	सरकारी	2022-23
4.	हरियाणा	बाबा खेतानाथ सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल, गांव-पटीकरा, नारनौल, जिला-महेंद्रगढ़	महेंद्रगढ़	सरकारी	2022-23
5.	महाराष्ट्र	सरकारी आयुर्वेद कॉलेज और अस्पताल, बारामती, पोस्ट-मेडाड, क्रमांक-414/1, मोरगांव रोड, बारामती, जिला पुणे-413102, महाराष्ट्र	पुणे	सरकारी	2022-23
6.	राजस्थान	सरकारी आयुर्वेद महाविद्यालय, वैद्य दादूदयाल जोशी राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय, तलवंडी, कोटा-324005, राजस्थान	कोटा	सरकारी	2022-23
7.	राजस्थान	प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, राजकीय श्री वृषभानु कुमार (एस.वी.के.) गर्ल्स हायर स्कूल के सामने, अटलबंध, भरतपुर-321001, राजस्थान	भरतपुर	सरकारी	2022-23
8.	राजस्थान	सरकारी आयुर्वेद महाविद्यालय, केकड़ी, अजमेर-305404, राजस्थान	अजमेर	सरकारी	2022-23
9.	राजस्थान	सरकारी आयुर्वेद महाविद्यालय, सरकारी जिला चिकित्सालय, बांद्राबास, बीकानेर-334001, राजस्थान	बीकानेर	सरकारी	2022-23
10.	राजस्थान	सरकारी आयुर्वेद महाविद्यालय, प्रताप नगर, जयपुर-302033, राजस्थान	जयपुर	सरकारी	2022-23
11.	राजस्थान	सरकारी आयुर्वेद महाविद्यालय, डॉ. राजेंद्र प्रसाद जिला आयुर्वेद चिकित्सालय, रानीसती रोड, सीकर-332001, राजस्थान	सीकर	सरकारी	2022-23
पिछले 5 वर्षों में सरकारी यूनानी कालेजों के लिए प्राप्त कुल प्रस्ताव और स्थापित कालेजों का विवरण					
1.	जम्मू-कश्मीर	सरकारी यूनानी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, शाल्टेंग, श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर 190017	श्रीनगर	सरकारी	2020-21

2.	उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश (एलओपी अनुमति प्रक्रियाधीन है)	गाजियाबाद	सरकारी	2023-24